संख्या-194/2026/2198/सैंतीस-2-2026/002-1(1)/2014-102820

प्रेषक,

**मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,**
**संयुक्त सचिव,**
**उ0प्र0 शासन।**

सेवा में,

**निदेशक,**
**रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,**
**पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-16 सितम्बर, 2026

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अधीन पशु रोग नियंत्रण योजना (60 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-356/सा0-1/एक्स-120(4)/एस्कैड-एससीपी/2026-27, दिनांक-01.09.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस.एन.ए. स्पर्श के माध्यम से व्यय किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) के निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-235.25 लाख (रूपये दो करोड़ पैतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) (केन्द्रांश रू0-141.15 लाख+राज्यांश रू0-94.10 लाख) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

| मानक मद | स्वीकृत धनराशि (लाख में) |
|---|---|
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 10.00 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 50.00 |
| 18-प्रकाशन | 5.00 |
| 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 5.00 |
| 39-औषधि तथा रसायन | 162.25 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 3.00 |
| **योग-** | **235.25** |

**(रूपये दो करोड़ पैतीस लाख पच्चीस हजार मात्र)**

(1) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संबध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक-19.08.2026 एवं अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(6) इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

(7) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षः** 2403007890101 (पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 083 | 2403007890101 पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) | 11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र) |
| *2* | 083 | 2403007890101 पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) | 15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) |
| *3* | 083 | 2403007890101 पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) | 18 प्रकाशन | 5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र) |
| *4* | 083 | 2403007890101 पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) | 19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र) |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 083 | 2403007890101<br>पशु रोग नियंत्रण योजना<br>(के.60/रा.40-के.+रा.) | 39<br>औषधि तथा रसायन | 1,62,25,000<br>( रुपये एक करोड़ बासठ लाख पच्चीस हजार मात्र ) |
| 6 | 083 | 2403007890101<br>पशु रोग नियंत्रण योजना<br>(के.60/रा.40-के.+रा.) | 46<br>कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 3,00,000<br>( रुपये तीन लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **2,35,25,000<br>( रुपये दो करोड़ पैंतीस लाख पच्चीस हजार मात्र )** |

| | |
|---|---|
| **महायोग** | 2,35,25,000<br>( रुपये दो करोड़ पैंतीस लाख पच्चीस हजार मात्र ) |

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-132-X-2026-27, दिनांक-14 सितंबर, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

**(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)**
संयुक्त सचिव।

**पृ0सं0-194/2026/2198(1)/सैंतीस-2-2026/002-1(1)/2014-102820, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/साइबर कोषागार।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)**
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।